जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442803 (निवास)
फैक्स : 0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5711 — दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार **बोस्टन कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर** को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित **एम.एस-सी. बायोकैमिस्ट्री पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. एम.एस-सी. (बायोकैमिस्ट्री) पाठ्यक्रम से संबंधित प्रयोगशालायें, व्याख्यान कक्ष, उपकरण, रसायन पुस्तकें इत्यादि महाविद्यालय में संचालित विज्ञान संबंधित अन्य विषयों (जैसे कि माइक्रोबायलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि) से शीघ्रातिशीघ्र पृथक किया जावे।
2. परिनियम 28(17) के अन्तर्गत 3 (तीन) और शिक्षकों की नियुक्ति एम.एस-सी. (बायोकैमिस्ट्री) पाठ्यक्रम हेतु किया जावे।
3. परिनियम 28(17) के अन्तर्गत पुस्तकालयाध्यक्ष एवं क्रीड़ाधिकारी की नियुक्ति अविलंब किया जावे।
4. पुस्तकालय में जैव रसायन पाठ्यक्रम से संबंधित नवीन संस्करण की पुस्तकें (2 लाख रु. मूल्य की) खरीदी जावें।
5. जैव रसायन पाठ्यक्रम से संबंधित प्रयोगशाला हेतु (बायोइंफोर्मेटिक्स) लीगल सॉफ्टवेयर क्रय किये जावें।
6. परिनियम 27-28 का पालन कर विश्वविद्यालय को समय-समय पर सूचित किया जावे।
महाविद्यालय को यह अंतिम अवसर दिया जावे। यदि उपरोक्त शर्तों का पालन महाविद्यालय द्वारा सत्र 2011-12 तक पूर्ण नहीं कर लिया जाता तो इन परिस्थितियों में महाविद्यालय को यह सूचित किया जावे कि वो आगामी सत्र 2012-13 में इस पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश न दें।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, **बोस्टन कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर**
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)